न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
नगर पालिका निगरानी सं. 80/03
लीलाधर V/S परसराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/3/19	पत्रावली का इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
29/4/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक/जुन [illegible] कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30/5/19 को पेश हो।	
30/5/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक/नुपण कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 4/7/19 को पेश हो।	
4/7/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/8/19 को पेश हो।	
8.8.19	यादास्त पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर निगरानी/न.पा. 35/06 परसाराम बनाम लीलाधर के क्रम में इस प्रकरण की मूल पत्रावली इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 1341 दिनांक 02.07.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है। स्वायत शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल.बी./15/5843–6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यादास्त पत्रावली में कोई कार्यवाही इस न्यायालय स्तर पर शेष नहीं रहने से यादास्त पत्रावली बंद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner